

अचल सम्पत्ति प्रतिवेदन वर्ष 2024

पद सहायक जे 3-3

अधिकांश/कर्मचारी का पूरा नाम अमर सुन्दर मिश्रा

वर्तमान वेतन रुपये

वर्तमान वेतन रुपये

स. क्र.	उस जिले उपसंभाग तालूका तथा ग्राम का नाम जिसमें सम्पत्ति स्थित हो।	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है।	उसे किस प्रकार अति किया खरीदा पट्टा बन्धक विरासत भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तिथि और जिससे अर्जित की गई है उसका नाम तथा ब्यौरे।	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अन्यक्ति से
		गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ज्वालियर, दिनांक

कमांक /नातौ/स्था./2016

1. जो लागू न हो काट दीजिये।

2. ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना सम्भव न हो वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाये।

3. इसमें अल्प कालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी :- म.प्र. शासकीय सेवक (आचरण) नियम 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भ्रूकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उसके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसके विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे देवे।

अमर सुन्दर मिश्रा
सहायक जे 3-3